न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/35

1. श्रीमती रेखा देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात पत्नी श्री अनिल कुमार मीना निवासी ग्राम जाटावाली हाल निवासी ग्राम अन्नतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. श्रीमती आशा देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात पत्नी श्री ओमप्रकाश मीना निवासी ग्राम जाटावली हाल निवासी ग्राम अन्नतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. श्रीमती मन्नीदेवी उर्फ लक्ष्मी देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात पत्नी ओमप्रकाश मीना निवासी ग्राम जाटावाली हाल निवासी वार्ड नम्बर 5, जगतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. श्रीमती मुरली उर्फ मूली देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात पत्नी श्री संतोष कुमार मीना निवासी जाटावाली हाल निवासी वार्ड नम्बर 5 जगतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री प्रभात,
2. बंशीधर पुत्र स्व. श्री प्रभात, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम जाटावाली तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

4. मंजू देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात, पत्नी श्री रामजीलाल, जाति मीना निवासी ग्राम गठवाडा, तहसील ओमर जिला जयपुर।
5. नन्छी देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात, पत्नी श्री जीवणराम मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम गठवाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/36

1. श्रीमती रेखा देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात पत्नी श्री अनिल कुमार मीना निवासी ग्राम जाटावाली हाल निवासी ग्राम अन्नतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. श्रीमती आशा देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात पत्नी श्री ओमप्रकाश मीना निवासी ग्राम जाटावली हाल निवासी ग्राम अन्नतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. श्रीमती मन्नीदेवी उर्फ लक्ष्मी देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात पत्नी ओमप्रकाश मीना निवासी ग्राम जाटावाली हाल निवासी वार्ड नम्बर 5, जगतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. श्रीमती मुरली उर्फ मूली देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात पत्नी श्री संतोष कुमार मीना निवासी जाटावाली हाल निवासी वार्ड नम्बर 5 जगतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री प्रभात,
2. बंशीधर पुत्र स्व. श्री प्रभात, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम जाटावाली तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

4. मंजू देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात, पत्नी श्री रामजीलाल, जाति मीना निवासी ग्राम गठवाडा, तहसील ओमर जिला जयपुर।
5. नन्छी देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात, पत्नी श्री जीवणराम मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम गठवाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

---प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

6. रजनी पत्नी स्व. कैलाश मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम मालेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः-

1. **श्री राजाराम चौधरी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री गुलाबचन्द एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से**
3. **श्री हीरालाल सैनी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 05.09.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2011 एवं नामान्तरकरण संख्या 327 वाके ग्राम जाटावाली तहसील चौमू पर पारित आदेश दिनांक 22.09.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम जाटावाली तहसील चौमू जिला जयपुर स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 129 रकबा 1.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.70 हैक्टयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.98 हैक्टयर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.85 हैक्टयर, खसरा नम्बर 741 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 742 रकबा 0.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 743 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 744 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 745 रकबा 1.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 746 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.60 हैक्टयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.66 हैक्टयर कुल किता 13 कुल रकबा 7.72 हैक्टयर का खातेदार प्रभात पुत्र गणेश मीना था एवं राजस्व भू-अभिलेखों में उसका नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रभात पुत्र श्री गणेश मीना का वर्ष 2009 में स्वर्गवास हो गया तथा श्री प्रभात के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उसके दोनों पुत्र बंशीधर व रामस्वरूप, पत्नी ग्यारसी देवी तथा

P.T.O.

छः पुत्रीयॉ श्रीमती मन्नीदेवी उर्फ लक्ष्मी, श्रीमती मुरली उर्फ मूलीदेवी, श्रीमती मंजूदेवी, श्रीमती नन्छी देवी, श्रीमती आशादेवी व श्रीमती रेखा देवी बहिस्सा बराबर उत्तराधिकारी हुये। जिन सभी वारिसान के नाम से विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना कानूनन आवश्यक था किन्तु तहसीलदार चौमू ने अपीलार्थीगण एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर व मौका दिये बिना प्रभात की विरासत के सम्बन्ध में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2011 को पारित कर उसकी अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 22.09.2011 को मात्र बंशीधर, रामस्वरूप एवं ग्यारसीदेवी के ही नाम तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलार्थीगण को कोई जानकारी पूर्व में नही हो सकी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण एवं बंशीधर, रामस्वरूप एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 भाई–बहन है। एक ही परिवार के सदस्य होने की वजह से अपीलार्थीगण इस विश्वास में रही कि विधि के स्पष्ट प्रावधनों के अन्तर्गत उनका नाम भी राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित हो गया और अपीलार्थीगण को राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात की जानकारी करने की आवश्यकता नही पड़ी। उन्होने आगे कथन किया है कि श्री प्रभात के देहान्त के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बंशीधर जो कि अपीलार्थीगण के सगे बड़े भाई है, ने अपीलार्थीगण को बताया कि पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी भूमियों में सभी उत्तराधिकारियों के नाम करवाने हेतु आवेदन तहसीलदार के यहॉ पेश कर दिया है। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थीगण को सूचना दी कि उनके नाम विरासत का नामान्तरकरण खुलाया जा चुका है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि नवम्बर 2021 में अपीलार्थीगण के भाई बंशीधर के लड़के की शादी में शादी के कार्ड में अपीलार्थीगण के नाम नही होने पर जब अपीलाथीगण द्वारा अपने भाई बंशीधर से इस सम्बन्ध में बात करने पर वह नाराज को गया और कहा कि तुम्हारा हम से कोई रिश्ता–नाता नही है, ना ही कोई सम्बन्ध सरोकार है। और कहा कि स्व. प्रभात की भूमि से उनका (अपीलार्थीगण) का कोई सरोकार नही, न ही तुम्हारे नाम खातेदारी है। इस पर अपीलार्थीगण ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर आवश्यक मालूमात की तथा नामान्तरकरण संख्या 327 की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 30.11.2021 को नकल प्राप्त होने पर प्रथमतया नामान्तरकरण की जानकारी हुई। जिस सम्बन्ध में अभिभाषक से बात किये जाने पर अभिभाषक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त नामान्तरकरण तो तहसीलदार के फैसले के आधार पर खोला गया है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक मालूमात कर दिनांक 23.12.2021 को उपरोक्त तहसीलदार के निर्णय से सम्बन्धित सम्पूर्ण पवत्रावली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.12.2021 को नकल प्राप्त होने पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है तथा जानकारी की दिनांक से अपीलार्थीगण द्वारा अपीलें न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपीलों के साथ प्रस्तुत किये गये है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाये जावें।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत दर्ज किये जाने के पश्चात् भी अपीलार्थीगण एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का सुनवाई हेतु कोई नोटिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नही किया गया एवं केवल मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता की बहस सुनी जाकर विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही कतई परवर्श, न्यायिक प्रक्रिया के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में प्रभात पुत्र गणेश की मृत्यु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद और उसके द्वारा कोई इच्छा पत्र नही छोड़ा जाना एवं उसकी खातेदारी भूमि के निहित हित व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवस्थित होना मानते हुये हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 प्रभाव में आना अंकित किये जाने के पश्चात् भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम या व्यक्तिगत कानून को स्पष्ट किये बिना ही कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रत्येक अवस्था में किसी भी व्यक्तिगत कानून के आधार पर कोई न्यायिक निर्णय पारित किये जाने से पूर्व उसकी व्यक्तिगत कानून या रिति रिवाजों को तुलानात्मक अध्ययन या अवलोकन किया जाना आवश्यक होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का अवलोकन या तुलनात्मक अध्ययन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पुराने हिन्दू लॉ की धारा 43 के प्रावधनों के अनुसार निर्णित किया जाना अंकित किया है लेकिन अपीलाधीन निर्णय उसके विपरित पारित किये जाने की वजह से भी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2011 एवं नामान्तरकरण संख्या 327 वाके ग्राम जाटावाली पर पारित आदेश दिनांक 22.09.2011 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित फरमाया जावें कि मृत प्रभात की विरासत उसके विधिक वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 4 व 5 के अधिवक्ता एवं ने कथन किया है कि प्रकरण मीना जाति से सम्बन्धित है तथा मीना जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है एवं कानूनन अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होने से पुत्रीयों को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्रदत्त नही होते है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान के लिऐ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पूर्व लागू उत्तराधिकार सम्बन्धी अनुसूचित जनजाति के खातेदार कृषकों के लिए प्रभाव में आना माना जावेगा तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अपने आप में धारा 2(2) के अन्तर्गत इस अधिनियम का अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर प्रभावी न होना वर्णित

P.T.O.

आयुक्त

करता है एवं प्रावधित किया गया है कि जब तक केन्द्र सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अन्यथा निर्देशित न करें तब तक यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नही होगा। इसलिये वादग्रस्त आराजी पुराने हिन्दू लॉ के अनुसार विरासत में जाएगी, हिन्दू लॉ की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार हिन्दू पुरूष की मृत्यु पर उसके सपिण्ड प्रथमतः पुत्र/पौत्र, परपौत्र एवं विधवा विरासत में सम्पत्ति को प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के अधिवक्ता ने कथन किया है भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 0.70 हैक्टयर को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 13.02.2014 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किये जाने पर खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 418 दिनांकित 20.03.2014 को तहसीलदार चौमू द्वारा तस्दीक किया गया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पति कैलाशचन्द की मृत्यु दिनांक 23.10.2019 को होने पर भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 0.70 हैक्टयर का फौती नामान्तरकरण संख्या 693 दिनांक 01.07.2021 को भरा जाकर ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा दिनांक 05.07.2021 को स्वीकार किया गया। उन्होने कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 130 में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के हक अधिकार निहित होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 130 का विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2021 को बिजूप्रकाश मीना व मक्खनी देवी के हक में पंजीकृत करवाये गये है।

रेस्पोडन्ट संख्या 6 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि तहसीलदार चौमू के द्वारा प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत दर्ज करके एवं जॉच कर दिनांक 14.09.2011 को निर्णय पारित करने पर उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 22.09.2011 को नामान्तरकरण संख्या 327 तस्दीक किया गया था। तत्पश्चात् खातेदारों द्वारा पंजीकृत हकत्याग होने पर नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 05.07.2013 तस्दीक होने पर हाल खसरा नम्बर 129, 130 की सम्पूर्ण भूमियां बंशीधर पुत्र प्रभात के नाम होने पर उनके द्वारा अपने हक अधिकरों का प्रयोग करते हुये उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पूर्वाहक अधिकारी कैलाशचन्द पुत्र बंशीधर को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2014 कैलाशचन्द के हक में तस्दीक होने एवं कैलाशचन्द की मृत्यु पर फौती नामान्तरकरण संख्या 693 दिनांक 05.07.2021 को तस्दीक किया गया है। जिन हक अधिकारों को प्रयोग करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने भूमि हाल खसरा नम्बर 130 में से दो विक्रय पत्र बिजूप्रकाश व मक्खनी देवी के हक में पंजीकृत कराये गये है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया

P.T.O.

जिससे जाहिर है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रभात की पुत्रीयाँ है जिस तथ्य को रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 एवं 4 व 5 के अधिवक्ता द्वारा नकारा भी नही गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2011 एवं नामान्तरकरण संख्या 327 वाके ग्राम जाटावाली पर पारित आदेश दिनांक 22.09.2011 के विरूद्ध दिनांक 24.01.2022 को हस्तगत अपीलें असाधारण विलम्ब से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जबकि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 एवं 4 व 5 सगे भाई–बहन है एवं एक ही परिवार के सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेशों की जानकारी प्रारम्भ से नही रही हो तथा अपीलार्थीगण द्वारा अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ऐसा कोई सन्तोषजनक कारण या ठोस तथ्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये गये है जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जा सके। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी व्यक्ति के हक, हकूक, अधिकारों को घोषणा नही की जा सकता है। ऐसे में यदि अपीलार्थीगण के वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के हक, हकूक, अधिकार निहित है तो उन्हे अपने हक, हकूक, अधिकारों की घोषणा के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर चाराजोही करनी चाहिये, जिसके लिये अपीलार्थीगण स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं दोनों अपीलें खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थीगण की अपीलें मियाद बाहर होने से दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौंमू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2011 एवं नामान्तरकरण संख्या 327 वाके ग्राम जाटावाली पर पारित आदेश दिनांक 22.09.2011 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5/9/23

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर